निर्गत
11/4/17

संख्या– 429 /XXVIII(1)/2017-150/2005 T.C III

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2017

विषयः– **नीट पी0जी0 2017 केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2017–18 में हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की पी0जी0 सीटों पर प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–25/HNBUMU/2017-18 दिनांक 07.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की शैक्षणिक सत्र 2017–18 की राज्य कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु शुल्क निर्धारण का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्र संख्या–05/एचएनबीयूएमयू/नीट पी0जी0 काउंसिलिंग/17–18 दिनांक 03.04.2017 के क्रम में शासनादेश संख्या–377/XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से नीट पी0जी0 2017 केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग में सीट विभाजन एवं शुल्क निर्धारण के स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।

3– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमिक ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य (Writ Petition Civil No.-350 of 1993), टी0एम0ए0 पाई फाउण्डेशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य (2002/8 SCC481), पी0ए0 ईनामदार बनाम स्टेट ऑफ महराष्ट्र एवं अन्य (सिविल अपील नं0–5041/2005) वाद प्रकरणों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अधिनियम पारित करके ऐसी समिति गठित करेगी, जो अनानुदानित विश्वविद्यालय/संस्थानों आदि के प्रवेश एवं शुल्क संबंधी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी और शुल्क निर्धारण करेगी। चूंकि हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–12 वर्ष 2013) के अनुसार स्थापित किया गया है। अतः उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 (संशोधन अधिनियम, 2010) की धारा–02 के अनुसार यह अधिनियम हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून पर भी समान रूप से लागू होता है तथा सन्दर्भित संस्थान अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–दो के प्राविधान की परिधि में आता है। उपरोक्त के दृष्टिगत

हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसीलिए प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित कर हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून का प्रस्ताव शुल्क नियामक समिति को सन्दर्भित नहीं किया गया। चूंकि हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की पी0जी0 सीट्स हेतु शुल्क निर्धारण के लिए समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पी0जी0 सीटों की काउंसिलिंग प्रचलन में है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारणी का अनुपालन कर ससमय काउंसिलिंग सम्पादित किया जाना अनिवार्य है। अतः जिस प्रकार पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–2472/XXVIII(1)/2016/53/2013 दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत राजकीय कोटे की सीटों का आवंटन करते हुए शुल्क का निर्धारण किया गया, उसी भांति हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की कुल पी0जी0 सीटों के सापेक्ष राजकीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों सहित सम्पूर्ण सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही करते हुए पी0जी0 पाठ्यक्रम के शुल्क के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1024/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 08.04.2015 के अनुसार हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून हेतु तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1242/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 07.05.2015 के अनुसार उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
०/c (डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या– 429 /XXVIII(1)/2017/150/2005 T.C III एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलसचिव, हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
०/c (आर0आर0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

E:\pankaj sir 2016\Draft 2017.doc

संख्या–377 /XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 03 अप्रैल, 2017**

विषयः– **नीट पी0जी0, 2017 केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग (Centralized Counselling) में सीट विभाजन एवं शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–05/एचएनबीयूएमयू/नीट पी0जी0 काउन्सिलिंग/17–18 दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना दिनांक 10.03.2017 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–V.11025/04/2016-MEP दिनांक 21 फरवरी, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा पी0जी0 सीटों का शुल्क निर्धारण उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्राविधान के अनुसार गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाय, साथ ही काउन्सिलिंग में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

03/04/17

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या– /XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित

1– कुलपति/अध्यक्ष, NEET PG काउंसिलिंग बोर्ड, हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical University, Dehradun — Received Date 6/4/17

For kind perusal Hon'ble Registrar — website पर upload करें।

G:\Establishment 2015.doc

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग--1
संख्या-1024 /XXVIII(1)/2015-77/2013
देहरादूनः दिनांकः 08 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत राज्य में निजी क्षेत्र के असहायतित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु जस्टिस राम अवतार सिंह (सेवा निवृत्त न्यायधीश), की अध्यक्षता में गठित शुल्क ढांचा समिति की बैठक दिनांक 26.03.2015 की संस्तुति के अनुसार पूर्व में संस्थानों हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित किये गये शुल्क सम्बन्धित शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए तालिका में उल्लिखित संस्थाओं का शुल्क निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :--

(1) नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क	
			राज्य कोटे की सीटों हेतु	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु
1	बी0एस0सी0 नर्सिंग	सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	47000/- प्रतिवर्ष	57000/- प्रतिवर्ष
2	जी0एन0एम0	सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	37000/- प्रतिवर्ष	47000/- प्रतिवर्ष
3	ए0एन0एम0	सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	33500/- प्रतिवर्ष	43500/- प्रतिवर्ष

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क	
			राज्य कोटे की सीटों हेतु	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु
1	बी0एस0सी0 नर्सिंग	सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	56000/- प्रतिवर्ष	66000/- प्रतिवर्ष
2	जी0एन0एम0	सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	40000/- प्रतिवर्ष	50000/- प्रतिवर्ष
3	ए0एन0एम0	सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	38000/- प्रतिवर्ष	48000/- प्रतिवर्ष

(2) श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून

	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क	
			राज्य कोटे की सीटों हेतु	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु
1	परास्नातक क्लीनिकल	सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	6,81,646/- प्रतिवर्ष	9,32,685/- प्रतिवर्ष
2	परास्नातक नॉन क्लीनिकल	सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	4,67,476/- प्रतिवर्ष	6,39,641/- प्रतिवर्ष

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क	
			राज्य कोटे की सीटों हेतु	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु
1	परास्नातक क्लीनिकल	सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	7,30,835/- प्रतिवर्ष	10,10,937/- प्रतिवर्ष
2	परास्नातक नॉन क्लीनिकल	सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	5,06,697/- प्रतिवर्ष	6,93,306/- प्रतिवर्ष

2— उपरोक्त संस्थानों द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई विकास शुल्क, भवन शुल्क या अन्य किसी नाम से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु संस्थान शुल्क के रूप में रू0 10,000/— (प्रथम वर्ष प्रवेश के समय), छात्रावास एवं मैस हेतु न लाभ न हानि (No profit No loss) के सिद्धान्त के आधार पर तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क छात्र–छात्राओं से वसूल कर सकेगा।

3— उक्तानुसार अनुमोदित शुल्क ढांचा उक्त संस्थान में उक्त पाठ्यक्रमों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

4— संस्थान के द्वारा छात्र–छात्राओं से पाठ्यक्रम के पूर्व के वर्षों में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक लिये गये शुल्क को पाठ्यक्रम की शेष अवधि हेतु शुल्क में समायोजित किया जायेगा परन्तु कोई अवधि शेष न होने अथवा समायोजन के उपरान्त भी संस्थान द्वारा पूर्व में अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में शुल्क के आधिक्य को संस्थान द्वारा सम्बन्धित छात्र को वापस किया जाना होगा।

5— यदि संस्थान के द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गयी है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को सम्बन्धित छात्र–छात्रा को वापस किया जाना अनिवार्य होगा।

6— उक्त निर्देशों का उपरोक्त संस्थानों द्वारा कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जस्टिस राम अवतार सिंह (सेवा निवृत्त न्यायाधीश), अध्यक्ष प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।
5. श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
6. प्राचार्य, नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जौलीकोट, नैनीताल।
7. प्राचार्य, श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, पटेलनगर, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0 पन्त)
अनु सचिव।

निरीक्षण
31/3/17

संख्या– 370 /XXVIII(1)/2017-77/202013

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2017–18 में श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून के पी0जी0 पाठ्यक्रम में राज्य कोटे तथा प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–693/एच0एन0बी0यू0एम0यू0/2016–17 दिनांक 30.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, पटेल नगर, देहरादून के पी0जी0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2017–18 के संबंध में राज्य कोटे एवं प्रबंधकीय कोटे की सीटों के संबंध में शुल्क निर्धारण का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2017–18 में पी0जी0 पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में शासन के कार्यालय ज्ञाप स0–1024/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 08.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा, जब तक कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा संशोधित दरों का पुनःनिर्धारण न कर दिया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
31/03/17
ह0/ (डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या– 370 /XXVIII(1)/2017-77/202013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त निर्णय का अपने स्तर से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
ह0/ (आर0आर0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

E:\pankaj sir 2016\Draft 2017.doc